मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 107] भोपाल, बुधवार, दिनांक 26 फरवरी 2014—फाल्गुन 7, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2014

क्र. एफ. बी-1-11-2011-2-पांच (14).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा देशी मदिरा के विनिर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली रेक्टीफाईड स्प्रिट पर आयात फीस के संबंध में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. (4) बी-1-12-06-2-पांच, दिनांक 16 फरवरी 2006 को आंशिक रूप से अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, देशी मदिरा के विनिर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली रेक्टीफाईड स्प्रिट पर रुपए 5.00 बल्क लीटर आयात फीस विहित करती है.

2. यह संशोधन "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2014

क्र. बी-1-11-2011-2-पांच (14).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-11-2011-2-पांच (14), दिनांक 26 फरवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 26th February 2014

No. F. B-1-11-2011-2-V (14).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and in partial supersession of this department's Notification No. (4) B-1-12-06-2-V, dated 16th February, 2006 regarding the import fee on Rectified Spirit used for manufacture of Country Spirit, the State Government, hereby prescribes the import fee Rs. 5.00 per bulk litre on Rectified Spirit used for Manufacture of Country Spirit.

2. This amendment shall come into force with effect from the date of its publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.